भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3980
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायाधीशों द्वारा मामलों से हटना

3980. श्री असादुद्दीन ओवैसी :
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष दर वर्ष न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न मामलों से हटने में वृद्धि हो रही है; (ख) यदि हां, तो कितने न्यायाधीशों ने स्वयं को मामलों की सुनवाई से अलग किया है ;

(ग) क्या इस प्रथा से मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है और इसमें समय ज्यादा लग रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मामले की सुनवाई से हटने के लिए न्यायाधीश कोई कारण नहीं देते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों के लिए मामलों से हटने के कारण बताने को अनिवार्य बनाने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान और न्यायाधीशों द्वारा मामलों से हटने सहित मामलों की प्रबंधन प्रक्रिया स्पष्ट रुप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है । सरकार द्वारा न्यायाधीशों के मामलों से हटने के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। मामलों से हटने के कारण, यदि कोई हो, न्यायालय की कार्यवाहियों में अभिलिखित किए जाते हैं ।

****